अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3449(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.12.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2835(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "तारा संस्थान, 236ए, सेक्टर-6, हिरनमागरी, उदयपुर-313002, राजस्थान'' द्वारा "नेत्र अस्पताल, अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र का विस्तार'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-12 को शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 3.85 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3843(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत को 50 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 3.85 करोड़ रूपये से 50 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 16.87 करोड़ रूपये तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 50 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 3.85 करोड़ रूपये से 50 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 16.87 करोड़ रूपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा दिनांक 19.12.2011 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 2835(अ) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामत:

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 10 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में “50 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 3.85 करोड़ रूपये” अक्षरों, अंकों और शब्दों को “50 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 16.87 करोड़ रूपये” अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 275/2015/फा. सं. वी-27015/4/2015 एस ओ (रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)